तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.03.21	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 24.3.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। P.O. साहब खाटू मेले में पधारे हुये है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/3/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/03/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के दादा हरिसिंह का नाम जमाबन्दी सम्वत 2032–35 एवं जमाबन्दी सम्वत 2036–39 में पुराने खसरा नम्बरा 345 में 1/4 हिस्से दर्ज रिकॉर्ड हैं। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2041–2044 तैयार करते समय प्रार्थी के दादा हरिसिंह का नाम सहवन से दर्ज करने से छुट गया। तब से लगातार इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड चलता आया हैं। एवं पिछले वर्ष सेग्रीगेशन के दौरान हिस्सा पूर्ण करने के लिए अन्य सहखातेदारों का हिस्सा बजरंग सिंह, शायर सिंह, हमीरसिंह प्रत्येक का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/4, इसी प्रकार शैतानसिंह, हरदानसिंह पुत्र शोभ सिंह का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/8 गलत रूप से अंकित कर खाता पूर्ण कर दिया। जो काबिल दुरूस्ती हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2032–35 एवं 2036–39, 2041–44, 2048–51, 2053–56 व मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। बहस [illegible] पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का [illegible] किया गया। जिससे जाहिर है [illegible] रिकॉर्ड में प्रार्थी के [illegible] नहीं है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के दादा हरिसिंह का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा है की पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2032–35 एवं 2036–39 से होती हैं तथा जमाबन्दी सम्वत 2041–44 में प्रार्थी के दादा हरिसिंह पुत्र भूरसिह का नाम सहवन से छूटना साबित हैं। इस प्रकार प्रस्तुत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:48:02 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मावण्डाकलां पटवार हल्का मावण्डा कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर, 632 रकबा 0.29 है0 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्टि	की जाने वाली दुरूस्ती
1	बजरंग पुत्र श्योदान हिस्सा 1/4	बजरंग पुत्र श्योदान हिस्सा 1/12
2	सायरसिंह पुत्र श्योदान हिस्सा 1/4	सायरसिंह पुत्र श्योदान हिस्सा 1/12
3	हमीरसिंह पुत्र श्योदान हिस्सा 1/4	हमीरसिंह पुत्र श्योदान हिस्सा 1/12
4	शैतानसिंह पुत्र शोभसिंह हिस्सा 1/8	शैतानसिंह पुत्र शोभसिंह हिस्सा 1/4
5	हरदानसिंह पुत्र शौभसिंह हिस्सा 1/8	हरदानसिंह पुत्र शौभसिंह हिस्सा 1/4
6	----	हरिसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा 1/4

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:48:02 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)